Act- No. 10 of 2014

2013 का विधेयक संख्यांक 41

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 14 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय(संशोधन) अधिनियम, 2013 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, धारा 14 का संशोधन।
1987 का 4 1986 की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(v) उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, शिक्षा निदेशालय, देहरादून;"।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष।
विधान सभा, शिमला

शिमला–171004.
दिनांक : 13–02–2014

राज्यपाल।

शिमला–171002.
दिनांक : 18–2–201

BILL NO. 41 OF 2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 14.

BILL No. 41 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2013.

Amendment of section 14.

2. In section 14 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986, in sub-section (2), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

4 of 1987

"(v) Deputy Director General (Education), Indian Council of Forest Research & Education, Directorate of Education, Dehradun;".

मैं, "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 41)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

उर्मिला सिंह

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 41)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानु सिंह

प्रधान सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार।